

ई-डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जारी...



## उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला  
तहसील  
आवेदन क्र०  
प्रमाणपत्र क्र०

संत कबीर नगर  
खलीलाबाद  
211860030099584  
562213024163

जारी दिनांक: 01/10/2021

प्रमाणित किया जाता है कि  
पुत्र/पुत्री  
माता का नाम  
निवासी  
ग्राम  
तहसील  
जिला

अरुण चौरसिया  
प्रताप चौरसिया  
गुड़िया देवी  
ग्राम व पोस्ट जगदीशपुर उर्फ लहरादेवा  
जगदीशपुर उर्फ लहरादेवा  
खलीलाबाद  
संत कबीर नगर



उत्तर प्रदेश राज्य की बरई जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अरुण चौरसिया पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो ३० प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहित छूट सीमा में अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: शंकर, सहज अतिरिक्त सेवा केंद्र

पद: शंकर, केन्द्र प्रसारी

स्थान:

UMILA, घनघटा, उमिला, समुहियावा, घनघटा

दिनांक: 01/10/2021

हस्ताक्षर एवं मुहर

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://edistrict.up.gov.in> पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।

Shashank  
Shekhar  
Rai

Digitally Signed by  
Shashank Shekhar  
Rai O=Personal,  
C=Uttar Pradesh

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार  
डिजिटल हस्ताक्षरित  
खलीलाबाद, संत कबीर नगर  
दिनांक: 01/10/2021